

**OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE  
RAIPUR (C.G.)**

**Work Distribution Order**

**W.E.F. 02/08 / 2018  
(With Effect From)**

**(Anand Prakash Dixit)  
Chief Judicial Magistrate  
Raipur (C.G.)**

**:: अनुक्रमाणिका ::**

<b>क्रमांक</b>	<b>विवरण</b>	<b>पृष्ठ क्रमांक</b>
01.	जिला न्यायालय रायपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की सूची	<b>3</b>
02.	जिला रायपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सूची	<b>4 से 5</b>
03.	न्यायिक अधिकारीगण को आपराधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आबंटित आरक्षी केन्द्रों की सूची	<b>6 से 7</b>
04.	न्यायिक अधिकारीगण को परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों के निराकरण हेतु आबंटित आरक्षी केन्द्रों की सूची	<b>8</b>
05.	दांडिक कार्य विभाजन विवरण	<b>9 से 19</b>
06.	आवश्यक निर्देश	<b>20</b>
07.	आदेश पृष्ठांकन	<b>21</b>
08.	परिशिष्ट "ए"— धारा 164 दंप्र.सं. के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना	<b>22</b>
09.	परिशिष्ट "बी"	<b>23 से 26</b>

## जिला न्यायालय रायपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की सूची

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम
01.	श्री आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
02.	श्री सुमीत कपूर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
03.	श्री शैलेश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
04.	श्री विनय कुमार प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
05.	श्री सर्वविजय अग्रवाल, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, रायपुर
06.	श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
07.	डॉ. सुमित कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
08.	कु. दीपि सिंह गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
09.	श्री असलम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
10.	कु. अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
11.	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
12.	कु. नेहा उसेण्डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
13.	श्री अनंत दीप तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
14.	श्री भावेश कुमार वट्टी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
15.	श्रीमती कंचनलता आचला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तिल्दा नेवरा, जिला—रायपुर
16.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
17.	कु. संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
18.	कु. नम्रता नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
19.	श्री प्रशांत कुमार भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
20.	कु. मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
21.	श्री नीरज श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर
22.	श्री अविनाश कुमार दुबे, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट, रायपुर
23.	श्री अंशुल मिंज, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट, रायपुर
24.	श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट, रायपुर

## जिला रायपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सूची

क्रमांक	आरक्षी केन्द्र
01.	सिविल लाईन
02.	तेलीबांधा
03.	माना
04.	टिकरापारा
05.	खमतराई
06.	गंज एवं काइम ब्रांच
07.	अभनपुर
08.	राजेन्द्र नगर
09.	गोलबाजार
10.	सिटी कोतवाली
11.	आरंग
12.	जी.आर.पी.
13.	आर.पी.एफ.
14.	राखी
15.	मौदहापारा
16.	मंदिरहसौद
17.	सेजबहार
18.	पुरानी बस्ती
19.	कबीर नगर
20.	धरसींवा
21.	सरस्वती नगर

22.	खरोरा
23.	देवेन्द्र नगर
24.	उरला
25.	विधानसभा
26.	गोबरा नवापारा
27.	गुढ़ियारी
28.	आजाद चौक
29.	महिला थाना
30.	अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना
31.	आमानाका
32.	पण्डरी
33.	डी.डी. नगर
34.	तिल्दा नेवरा

**न्यायिक अधिकारीगण को (आपराधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु)  
आबंटित आरक्षी केन्द्रों की सूची**

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र
01.	श्री आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	1. सिविल लाईन 2. माना 3. टिकरापारा 4. खमतराई 5. तेलीबांधा
02.	श्री सुमीत कपूर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	1. डी.डी. नगर 2. खरोरा 3. गोलबाजार
03.	श्री शैलेश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. गंज एवं काइम ब्रांच 2. अभनपुर 3. मौदहापारा 4. पुरानी बस्ती
04.	श्री विनय कुमार प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. पण्डरी 2. आरंग 3. देवेन्द्र नगर 4. मंदिरहसौद
05.	श्री सर्वविजय अग्रवाल, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, रायपुर	1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ. 3. राखी
06.	श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर नामित
07.	कु. दीप्ति सिंह गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. कबीर नगर 2. धरसींवा 3. उरला
08.	श्री असलम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. राजेन्द्र नगर 2. सरस्वती नगर 3. गोबरा नवापारा
09.	कु. अमिता जायसवाल,	1. आजाद चौक

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	2. महिला थाना 3. अनुसूचित जाति, जनजाति थाना इसके अतिरिक्त धारा 354 एवं 354 क से घ तक एवं 509 के अंतर्गत एवं <b>Pre- conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994</b> के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु ईयरमार्क
10.	श्री भावेश कुमार वट्टी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. आमानाका 2. सेजबहार 3. सिटी कोतवाली
11.	श्रीमती कंचनलता आचला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तिल्दा नेवरा,	1. तिल्दा नेवरा
12.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. विधानसभा 2. गुढ़ियारी

**न्यायिक अधिकारीगण को (परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों के निराकरण हेतु) आबंटित आरक्षी केन्द्रों की सूची**

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र
01.	डॉ. सुमीत कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. आरंग 2. सिटी कोतवाली 3. गुढ़ियारी 4. गोबरा नवापारा
02.	कु. नेहा उसेण्डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. खमतराई 2. अभनपुर 3. डी.डी. नगर 4. आमानाका
03.	श्री अनंत दीप तिकीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. सिविल लाईन 2. तेलीबांधा 3. खरोरा 4. विधानसभा 5. सेजबहार
04.	कु. संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. टिकरापारा 2. मंदिरहसौद 3. कबीरनगर 4. उरला
05.	कु. नम्रता नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. पण्डरी 2. राखी 3. आजाद चौक 4. सरस्वती नगर
06.	श्री प्रशांत कुमार भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. मौदहापारा 2. गोलबाजार 3. देवेन्द्र नगर 4. माना
07.	कु. मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	1. पुरानी बस्ती 2. राजेन्द्र नगर 3. गंज 4. धरसींवा

**न्यायालय :: आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)**

**// दांडिक कार्य विभाजन आदेश //**

क्रमांक—क्यू/सी.जे.एम./2018,

रायपुर, दिनांक 02.08.2018.

मैं, आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14 (1) एवं 15 (2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला रायपुर में पदरथ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02.	03.	04.
01.	आनंद प्रकाश दीक्षित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1. सिविल लाईन 2. माना 3. टिकरापारा 4. खमतराई 5. तेलीबांधा	<p>1. स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. थाना यातायात एवं आर.टी.ओ. रायपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3. माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 1576/तीन-6/2001, बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार सिविल जिला रायपुर से उत्पन्न :—</p> <p>(a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (b) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 (c) कम्पनी अधिनियम 1956 (d) धनकर अधिनियम 1957 (e) दानकर अधिनियम 1958 (f) आयकर अधिनियम 1961 (g) सीमा शुल्क अधिनियम 1962</p>

	<p>(h) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963</p> <p>(i) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964</p> <p>(j) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969</p> <p>(k) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p><b>4.</b> राजस्व जिला रायपुर के नगर पालिका निगम से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p><b>5.</b> राजस्व जिला रायपुर से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p><b>6.</b> राजस्व जिला रायपुर के अंतर्गत स्थित समस्त आबकारी वृत्तों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p><b>7.</b> राजस्व जिला रायपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के मामलों से संबंधित समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p><b>8.</b> राजस्व जिला रायपुर अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।</p> <p><b>9.</b> रायपुर मुख्यालय के सभी आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p><b>10.</b> राजस्व जिला रायपुर से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।</p> <p><b>11.</b> आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p><b>12.</b> ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य वितरण आदेश में न हो, का निराकरण करना।</p> <p><b>13.</b> माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय</p>
--	--

			छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
02.	<b>श्री सुमीत कपूर,</b> अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र <b>1.</b> डी.डी. नगर <ol style="list-style-type: none"><li><b>2.</b> खरोरा</li><li><b>3.</b> गोलबाजार</li></ol>	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 3698/तीन-6-7/2000, बिलासपुर, दिनांक 12.04.2018 के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़करऐसे अपराध, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत समस्त दांडिक कार्यों का निराकरण करना।</p> <p>6. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य</p>

			न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र <b>1.</b> गंज एवं काइम ब्रांच <b>2.</b> अभनपुर <b>3.</b> मौदहापारा <b>4.</b> पुरानी बस्ती	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
04.	श्री विनय कुमार प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र <b>1.</b> पण्डरी <b>2.</b> आरंग <b>3.</b> देवेन्द्र नगर <b>4.</b> मंदिरहसौद	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक</p>

			<p>मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
05.	<b>श्री सर्व विजय अग्रवाल,</b> <b>विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट</b> <b>रायपुर (छ.ग.)</b>	आरक्षी केन्द्र 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ. 3. राखी	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 2733/तीन-6-1/2000, बिलासपुर, दिनांक 31.03.2016 के अनुसार रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एकट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जाँच एवं विचारण के लिए आबंटित क्षेत्राधिकार के तहत प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
06.	<b>श्रीमती प्रियंका अग्रवाल,</b> <b>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</b> <b>रायपुर (छ.ग.)</b>	-	<p>1. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पृष्ठांकन क्र. 8183/तीन-6-5/16 (जे.जे.सी-59), बिलासपुर, दिनांक 04.10.2016 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्र. एफ-112-3/2013/एम.बी.वी./50, रायपुर, दिनांक 01.10.2016 के अनुसार किशोर न्याय</p>

			<p>(बालकों का संरक्षण) अधिनियम के तहत पीठासीन अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर नामित किये जाने के फलस्वरूप किशोर न्याय बोर्ड रायपुर में लंबित, प्रस्तुत एवं पंजीबद्ध होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
07.	<b>डॉ. सुमीत कुमार सोनी,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	—	<p>1. आरक्षी केन्द्र आरंग, सिटी कोतवाली, गुढ़ियारी, गोबरा नवापारा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकार्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एकट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
08.	<b>कु. दीप्ति सिंह गौर,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1. कबीर नगर 2. धरसींवा 3. उरला	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र खमतराई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र खमतराई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर</p>

			सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
09.	<b>श्री असलम खान,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र <b>1.</b> राजेन्द्र नगर <b>2.</b> सरस्वती नगर <b>3.</b> गोबरा नवापारा	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.द.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र टिकरापारा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र टिकरापारा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
10.	<b>कु. अमिता जायसवाल,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र <b>1.</b> आजाद चौक <b>2.</b> महिला थाना <b>3.</b> अनुसूचित जाति, जनजाति थाना	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र माना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र माना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत</p>

			<p>प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क. क/एक-15-1/92, रायपुर, दिनांक 12मई, 2017 के अनुसार जिला मुख्यालय रायपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 354 क से घ तक एवं 509 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामले एवं Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु ईयरमार्क किये जाने के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना।</p> <p>6. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
11.	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	—	<p>1. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
12.	कु. नेहा उसेण्डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)		<p>1. आरक्षी केन्द्र खमतराई, अभनपुर, डी.डी. नगर, आमानाका, के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
13.	श्री अनंत दीप तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)		<p>1. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, तेलीबांधा, खरोरा, विधानसभा, सेजबहार के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर</p>

			सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
14.	<b>श्री भावेश कुमार वट्टी,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1. आमानाका 2. सेजबहार 3. सिटी कोतवाली	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान रथापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
15.	<b>श्रीमती कंचनलता आचला,</b> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तिल्दा नेवरा, जिला—रायपुर	आरक्षी केन्द्र तिल्दा नेवरा	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान रथापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर</p>

			सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
16.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र 1. विधानसभा 2. गुड़ियारी	<p>1. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र (धारा 354 एवं 509 भा.दं.सं. के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) का निराकरण करना।</p> <p>2. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र तेलीबांधा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र तेलीबांधा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>4. आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>5. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
17.	कु. संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	—	<p>1. आरक्षी केन्द्र टिकरापारा, मंदिरहसौद, कबीर नगर, उरला के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
18.	कु. नम्रता नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	—	<p>1. आरक्षी केन्द्र पण्डरी, राखी, आजाद चौक, सरस्वती नगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर</p>

			सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।
19.	<b>श्री प्रशांत कुमार भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. आरक्षी केन्द्र मौदहापारा, गोलबाजार, देवेन्द्र नगर, माना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
20.	<b>कु. मंजूषा टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. आरक्षी केन्द्र पुरानी बस्ती, राजेन्द्र नगर, गंज, धरसींवा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
21.	<b>श्री नीरज श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
22.	<b>श्री अविनाश कुमार दुबे, प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
23.	<b>श्री अंशुल मिंज, प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
24.	<b>श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</b>	—	<p>1. माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय—समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>

## /// आवश्यक निर्देश ///

- (1) रायपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- (2) रायपुर मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।
- (3) धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्ज करेंगे।
- (4) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट को आबटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- (5) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी संबंधी कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा की जायेगी।
- (6) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट "बी" में स्तम्भ क्रमांक-02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तम्भ क्रमांक 3, 4, 5 ..... 15 में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।
- (7) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो, वहाँ परिशिष्ट "बी" के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (8) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (9) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।
- (10) यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

(आनंद प्रकाश दीक्षित)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायपुर (छ.ग.)

## न्यायालय :: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक— क्यू/सी.जे.एम./2018,

रायपुर, दिनांक ....., 2018.

### प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
- (2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
- (3) माननीय कु. / श्री / श्रीमती ..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) कु. / श्री / श्रीमती ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (5) कलेक्टर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, रायपुर कृपया सभी थाना प्रभारियों/ चौकी प्रभारियों, रायपुर को तत्संबंध में सूचित करें।
- (7) आयुक्त, आयकर विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (9) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (10) जिला खाद्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (11) डी.एफ.ओ. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (12) जिला आबकारी अधिकारी, सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।
- (13) सचिव, अधिवक्ता संघ, रायपुर/ तिल्दा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (14) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनंद प्रकाश दीक्षित)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायपुर (छ.ग.)

## // परिशिष्ट "ए" //

धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना		
क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01.	श्री सुमीत कपूर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)	सिविल लाईन, आरंग, गुडियारी
02.	श्री शैलेश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सी.बी.आई, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, एन्टी करप्शन ब्यूरो
03.	श्री विनय कुमार प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	तेलीबांधा, गोलबाजार, विधानसभा, सेजबहार
04.	डॉ. सुमीत कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	गोबरा नवापारा, खरोरा, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
04.	कु. दीप्ति सिंह गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	टिकरापारा, महिला थाना
05.	श्री असलम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	कबीर नगर, उरला, खमतराई
06.	कु. नेहा उसेण्डी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	पुरानी बस्ती, माना, तिल्दा नेवरा
07.	श्री अनंत दीप तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	देवेन्द्र नगर, राजेन्द्र नगर, गंज एवं काइम ब्रांच
08.	श्री भावेश कुमार वट्टी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आजाद चौक, सरस्वती नगर, मंदिरहसौद
09.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	अभनपुर, धरसींवा, राखी
11.	कु. नव्रता नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	आमानाका, विशेष अनुसंधान सेल, जी.आर.पी., आर. पी.एफ.
12	श्री प्रशांत कुमार भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	पण्डरी, मौदहापारा,
13.	कु. मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.)	सिटी कोतवाली, डी.डी. नगर

